

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 614]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2020 — अग्रहायण 10, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 नवम्बर 2020

अधिसूचना
संख्या 80/2020 — राज्य कर

क्रमांक एफ 10-82/2020/वाक/पांच (117).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017का 7) की धारा 44 की उपधारा (1) के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम के नियम 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 41/2020-राज्य कर क्रमांक एफ-10-56/2020/वाक/पांच(71) दिनांक 8 मई, 2020 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 235 तारीख 18 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: —

उक्त अधिसूचना में, “31 अक्टूबर 2020” अंको और शब्दों के स्थान पर “31 दिसम्बर, 2020” अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 28 अक्टूबर, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-82/2020/वाक/पांच (117).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-82/2020/वाक/पांच (117), दिनांक 19-11-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 19th November 2020

NOTIFICATION

No. 80/2020 – State Tax

No. F 10 -82/2020/CT/V(117).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), read with rule 80 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the Notification No. 41/2020-State Tax, No. F-10-56/2020/CT/V(71), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 8th May, 2020, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 235, dated the 18th May, 2020, namely:-

In the said notification, for the figures, letters and word “31st October, 2020”, the figures, letters and word “31st December, 2020” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come in to force on 28th October 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Principal Secretary.